

समाहरणालय, पटना ।  
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)  
फैक्स न०-0612-2218900  
Email : dampatnaarmssection@gmail.com  
dm-patna.bih@nic.in

10.2.2014

—: आदेश :-

आवेदक श्री अरुण कुमार, पिता-स्व० बसंत शर्मा, सा०-लखीपुर, पो०-डोमा, पूर्व थाना-बख्तियार, वर्तमान थाना-सालिमपुर, जिला-पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-09-549/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1328/गो०, दिनांक-19.09.2013 द्वारा जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़ द्वारा थानाध्यक्ष, सालिमपुर एवं पुलिस निरीक्षक, बख्तियारपुर के मंतव्य एवं आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में संलग्न कर बिना अनुशंसा के अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, सालिमपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे कृषक हैं एवं राजनिति से जुड़े हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान-माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में 'नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। आवेदक बख्तियारपुर थाना कांड सं०-121/1996, धारा-147/148/149/341/379/307 भा०द०वि० एवं 27 Arms Act, में वांछित हैं। तदोपरान्त आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा नहीं की गई है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री अरुण कुमार, पिता-स्व० बसंत शर्मा, सा०-लखीपुर, पो०-डोमा, पूर्व थाना-बख्तियार, वर्तमान थाना-सालिमपुर, जिला-पटना के आवेदित एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,  
पटना।